

29.6.18

पत्रावली का पत्र कोर्ट गुहा बावली में पेश हुई
प्रकरण के संबंधित वाद पत्र का विस्तार हो चुका
है इसलिए ज. पत्र आम्बार्ड विशेषज्ञों का कोई
कोचिस नहीं रह गया है। पत्रका पत्र आम्बार्ड
विशेषज्ञों वकील पर स्वारित किया जा रहा है।
पत्रावली के मूल मुद्दा होकर नम्बर में काम हो
तथा सारिवल रूपत हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्मुन्)